



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-2, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 24 अप्रैल, 2026

बैशाख 4, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1

संख्या 96/79-वि-1-2026-2-क-10-2026

लखनऊ, 24 अप्रैल, 2026

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2026) जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2026

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2026)

[भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिए
अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

1-(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2026 संक्षिप्त नाम और
कहा जायेगा। प्रारम्भ

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 12
सन् 2019 की
अनुसूची-2 का
संशोधन

2-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की अनुसूची-2 में, क्रम-संख्या 52 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम-संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टि बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

क्रम-संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम
53	मेट्रो विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश	सनहिल हेल्थकेयर प्रा0 लि0, नोएडा

कठिनाइयां दूर
करने की शक्ति

3-(1) राज्य सरकार, मेट्रो विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्याधीन, चाहे वे उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्षों के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 96(2)/LXXIX-V-1-2026-2-ka-10-2026

Dated Lucknow, April 24, 2026

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Niji Vishwavidyalay (Sanshodhan) Adhyadesh, 2026 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 10 of 2026) promulgated by the Governor. The Ucca Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (AMENDMENT)
ORDINANCE, 2026

(U.P. ORDINANCE NO. 10 OF 2026)

[Promulgated by the Governor in the Seventy-seventh Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance :-

Short title and
commencement

1.(1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Ordinance, 2026.

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Schedule-2 of the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (hereinafter referred to as the "principal Act") after serial no. 52, the following serial number and the entries relating thereto shall be *inserted*, namely:-

Amendment of Schedule-2 of U.P. Act no. 12 of 2019

Sl.no.	Name of the University	Name of the Sponsoring Body
53	Metro University, Greater Noida, Uttar Pradesh	Sunhill Health Care Pvt. Ltd., Noida

3. (1) The State Government may, for the purposes of removing any difficulty in relation to the establishment of Metro University, Greater Noida, Uttar Pradesh, by order published in the *Gazette*, direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient:

Power to remove difficulties

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Ordinance.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature, as soon as may be, after it is made.

ANANDIBEN PATEL
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.